प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

2 अप्रैल 2026

अप्रैल – जून 2026 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा बाज़ार से उधार लेने संबंधी सांकेतिक कैलेंडर

राज्य सरकारों, विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों सहित, द्वारा बाज़ार से लिया गया उधार, उनके राजकोषीय घाटे की भरपाई का एक प्रमुख स्त्रोत बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के निर्गम संबंधी फ्रेमवर्क और उनके द्वितीयक बाज़ार में उनकी चलनिधि को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

राज्य सरकारों के नकद और ऋण प्रबंधक के तौर पर, रिज़र्व बैंक उन्हें बाज़ार से लिए जाने वाले उधारों के लिए 'बेंचमार्क निर्गम कार्यनीति' (बीआईएस) अपनाने के प्रति जागरूक कर रहा है। इस कार्यनीति को अपनाने का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को अधिक स्पष्टता प्रदान करना है।

संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू करते हुए, चुनिंदा राज्यों में पायलट आधार पर बीआईएस लागू करने का निर्णय लिया है। इस पायलट में शामिल नौ राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इस कार्यनीति के तहत, पहले से घोषित कैलेंडर के अनुसार, विशिष्ट बेंचमार्क अवधि समूहों में प्रतिभूतियों का निर्गम किया जाएगा। अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए, इन नौ राज्यों की बाज़ार उधारी हेतु, उनके साथ परामर्श करके तैयार किया गया सांकेतिक कैलेंडर अनुबंध 1 में दिया गया है।

शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए बाज़ार से उधार लेने संबंधी कैलेंडर, जो संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के परामर्श से तैयार किया गया है, अनुबंध 2 में दिया गया है। आगे चलकर, उम्मीद है कि अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश भी बीआईएस को अपना लेंगे।

अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कुल बाज़ार उधार की राशि ₹2,54,509 करोड़ होने की उम्मीद है।

उधार लेने की वास्तविक राशि और इसमें भाग लेने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का विवरण, वास्तविक नीलामी से दो-तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक, बाज़ार की स्थितियों और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए, नीलामियों को बिना किसी बाधा के आयोजित करने का प्रयास करेगा। रिज़र्व बैंक, संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से, नीलामियों की तारीखों और राशि में संशोधन कर सकता है।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/18